# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 57 / 2018**
**तारीख दायर : 18.07.2018**

**अनवान**

1. भंवर कंवर पत्नी जोध सिंह जाति राठौड निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

**––प्रार्थिया**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––अप्रार्थी**

**उपस्थित :–**

1. श्री मयूर सिंह राठौड़ (अधिवक्ता प्रार्थिया)
2. विपक्षी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

## वाद पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

**–: निर्णय :–**

**दिनांक : 27.02.2020**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जालम की झोपड़िया, पटवार हल्का बीकरण तहसील माण्डलगढ़ की आराजी नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके उत्तर दिशा में बिलानाम आराजी संख्या 126 स्थित है, जिसका कुछ पश्चिम का भाग वन विभाग के क्षेत्र में आ रहा है जो मुझ प्रार्थिया के आराजी संख्या 124 के दक्षिण–पश्चिम कोने से तिकोने रूप में पश्चिम की तरफ आकर आराजी संख्या 85 वन विभाग के उत्तरी–पूर्वी कोने जो कि सड़क संख्या 127 से मिलता है। उक्त आराजियात श्रीमान के उपखण्ड में स्थित है। मुझ प्रार्थिया की आराजी संख्या 124 के दक्षिण में गहरा नाला है और पश्चिम में वन विभाग के खातेदारी की जमीन है जिससे उस तरफ से मेरी उक्त आराजी में नहीं जाया जा सकता है। मेरी उक्त खातेदारी की आराजी संख्या 124 में जाने का एकमात्र रास्ता बिलानाम सड़क संख्या 127 से दक्षिण में स्थित बिलानाम आराजी संख्या 126 से ही होकर जाया जा सकता है जिसको कि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है जो कि मुझ प्रार्थिया के आराजी संख्या 124 के उत्तर पूर्वी कोने में आकर मिल जाता है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते में बिलानाम भूमि स्थित है। आराजी संख्या 126 में जो रास्ता हमारी आराजी संख्या 124 में जाने के लिए दर्शित किया गया है, उस रास्ते से होकर निकलने में गाँव के व्यक्ति और सरकारी अधिकारी यह कहकर मना करते है कि जिस जगह आप रास्ता चाहते है वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। इस कारण से हम प्रार्थिया को निकलने नहीं देंगे। मुझ प्रार्थिया व मेरे परिवार वालो ने इन लोगो से काफी निवेदन किया किन्तु वह रास्ता देने में सहमत नही है। इस कारण से यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबत आई है। मुझ प्रार्थिया की उक्त भूमि आराजी संख्या 124 तक पहुँचने व जाने आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इस कारण से बिलानाम आराजी संख्या 126 मे से नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता जो कि 30 फीट चौड़ा है। उसे मुझ प्रार्थीया की आराजी संख्या 124 तक दिलाया जाना और उसे राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख में बिलानाम रास्ते के रूप में अंकित कराया जाना आवश्यक है। उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता आराजी संख्या 126 में से होकर आराजी संख्या 124 के उत्तर पूर्वी मेड के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थिया व उसके परिवारजन अपनी आराजी संख्या 124 में सदैव से आते जाते है। प्रार्थिया की उपरोक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त ही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया अपनी उक्त आराजी में सदैव से उक्त रास्ते से होकर ही अपने कृषि उपकरणो सजबैल, ट्रेक्टर सहित

आ जा रहे है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से विपक्षी की नीयत में फितूर उत्पन्न हो गया और वह आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है। दिनांक 21.07.2018 को भी आने जाने में बाधा उत्पन्न की। उक्त वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थिया को अत्यधिक आवश्यकता है एवं उक्त वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया को उनकी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए मुझ खातेदार प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार फरमा आराजी नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की उत्तरी पूर्वी मेड पर 30 फीट चौड़ाई का नया रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह आवेदन धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा के श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उप धारा (1) के अधीन मेरी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु 30 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 15.07.2019 को अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया एक किसान है एवं उक्त जमीन पर आने जाने के लिये रास्ते के ना होने से प्रार्थिया के लिये सम्पूर्ण खरीफ फसली समय की बरबादी होगी। उक्त अनवान प्रकरण में फसली समय को देखते हुए आप श्रीमान से निवेदन है कि तारीख पेशी को बदल कर जल्द सुनवाई हेतु रखा जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त अनवान के प्रकरण की नियत तारीख पेशी को बदल कर जल्द सुनवाई हेतु रखा जावें। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 15.07.2019 को प्रार्थिया की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त अनवान प्रकरण में मौके की भौतिक स्थिति का मौका निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट गिरदावर हल्का से मंगवाया जाना आवश्यक है ताकि मौके की सही एवं वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर आ सके। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भूमि की सम्बन्धित गिरदावर से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश प्रदान किये गये।

दिनांक 22.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया गया कि प्रार्थिया की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता नही हैं। प्रार्थिया की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की भूमि में चाहे गये रास्ते का रकबा 0.13 बिस्वा उपयोग में आवेगी। प्रार्थि द्वारा मांगे गये रास्ते हेतु 0.13 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 43164/– रूपये प्रति बीघा से 28057/– रूपये बनती है। दुगुनी दर 56114/– रूपये है। भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया गया कि प्रार्थिया की आराजी संख्या 124 पर पहुँचने हेतु ग्राम जालम की झुपडिया से बीकरण मोहनपुरा मुख्य सड़क से देने पर यह नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रस्तावित किया जाना न्यायसंगत होगा एवं प्रार्थिया ने भी इसी जगह रास्ते की मांग की है तथा यही रास्ता लघुतम भी है। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.13 बिस्वा बनता है। रास्ता ग्राम जालम की झुपडियां आराजी संख्या 126 बिलानाम से निकलता है।

दिनांक 27.02.2020 को पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थिया एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

हमने अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा तहसील माण्डगलढ़ की रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पाई गई।

प्रार्थिया द्वारा ग्राम जालम की झोपड़िया, पटवार हल्का बीकरण तहसील माण्डलगढ़ की आराजी नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिए बिलानाम आराजी संख्या 126 में से रास्ता रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को कृषि भूमि आराजी संख्या 124 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा ग्राम जालम की झोपड़िया, पटवार हल्का बीकरण तहसील माण्डलगढ़ पर पहुँचने के लिए एवं सजबैल, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के आराजी संख्या 126 में से 0.13 बिस्वा भूमि को 251 (क) में राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1) (।।)(a) के अनुसार 43143/– रूपये प्रति बीघा डी0एल0सी0 की दर से भूमि 0.13 बिस्वा के 28057/– रूपये की दुगुनी राशि 56114/– रूपये राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में जमा करवाने पर गैर मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

**(त्रिलोक चन्द मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**माण्डलगढ़**

Signature Not Verified

Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:08:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: